भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2320

(दिनांक 21.12.2022 को उत्तर के लिए)

बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों हेतु रिक्तियां

2320. श्री राहुल गांधी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार में बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 2018 से अब तक भर्ती किए गए बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रासंगिक पदों के लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और आवेदन करने में बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों की सहायता करने हेतु क्या उपाय शुरू किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल को सुगम बनाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : सभी बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। 'दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016' के लागू होने के साथ संवर्ग की संख्या में सभी समूह पदों यथा समूह क, ख, एवं ग में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्तियों का चार प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों के लिए निम्न तरीके से आरक्षित है-

श्रेणी		प्रतिशत
(क)	अंधता एवं कम दिखाई देना	1%
(ख)	बहरापन एवं ऊंचा सुनना	1%
(ग)	लोकोमोटर नि:शक्तता, जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित एवं मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रोफी) शामिल हैं।	1%
(घ)	स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता एवं मानसिक रूग्णता	1%
(ङ)	प्रत्येक नि:शक्तता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन, अंधता सहित उपर्युक्त खण्ड (क) एवं (घ) के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों में बहु-नि:शक्तताएं	1%

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2021 तक बेंचमार्क नि:शक्तता वाले 4798 व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दी गई है।

(घ) : अंधता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित) एवं मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पॉल्सी) की श्रेणी में बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा मांग करने पर और बेंचमार्क नि:शक्तता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर लिखित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए स्क्राइब की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रति घण्टे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय भी प्रदान किया जाता है। ये सभी प्रावधान परीक्षा के नोटिस में शामिल होते हैं।

(ङ.) : बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए सुगम कार्यस्थल सृजित करने के लिए “हारमोनाइज्ड गॉइडलाइन एण्ड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनीवर्सल एक्सेसबिलिटी इन इण्डिया 2021’ एवं हैण्डबुक ऑन बैरियर फ्री एण्ड एक्सेसबिलिटी” और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य मैनुअलों के तहत पहले से ही विनिर्दिष्ट उपायों का अनुसरण किया जा रहा है।

*****